एफ/12018–ए.सं.12201/6ईपीआई–

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: जनवरी,2018

अधिसूचना

बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने हेतु प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारूप भर्ती नियमों को इनके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप भर्ती नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा।

2. उक्त भर्ती नियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपततियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. यदि कोई आपततियां और सुझाव दिए जाने हों, तो उन्हें उप निदेशक (ईपीआई), कमरा नं.647-ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 के पते पर भेजा जाए और epidghs@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाए।

(स्वरूप सरन)

उप निदेशक

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' ,अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 6- -35400) (.112400रु	लागू नहीं होता	वर्ष से अधिक नहीं 30 (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **<u>टिप्पण:</u>** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख – भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की । गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, ,नागालैंड़ ,मणिपुर ,मिजोरम ,अरुणाचल प्रदेश ,मेघालय हिमाचल ,कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड-जम्मू ,सिक्किम ,त्रिपुरा जिले के पांगी –प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के ,उपखंड लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |	परिवीक्षा की अवधियदि ,	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति : आमेलन द्वारा तथा /द्वारा या प्रतिनियुक्ति विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों | की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से डिग्री (ii) **किसी सरकारी कार्यालय /पीएसयू /**स्वशासी संस्थान में रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य का **दो वर्ष का अनुभव।** **टिप्पण**अर्हताएं : **1-** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोगसक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों / से, जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं | **टिप्पण : 2-**अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोगसक्षम / प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियोंअनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में / तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी :''पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो -) (क) iमूल कैडर अथवा विभाग में (नियमित आधारपर समकक्ष पदधारित किए हुए हों और कॉलम में सीधे भर्ती होने (7) वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।''

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्तिआमेलन द्वारा / भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्तिआमेलन किया /	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है | तो उसकी संरचना ,	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |

जाएगा		
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति-: (i) उप महानिदेशक अध्यक्ष - (पीएच) (ii) निदेशक)बीसीजीवीएलसदस्य - ((iii) उप निदेशक - (प्रशासन) सदस्य (iv) केंद्र सदस्य - राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(सं.ए.12018/12/2017-ईपीआई)

(बी. एल. मीणा)

अवर सचिव, भारत सरकार